उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या -12/2021/567/78-2-2021/254एलसी/2019

लखनऊ, दिनांक 27 मार्च,2021

कार्यालय- ज्ञाप

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2-2020/ 254एलसी/2019 दिनांक 28-01-2021 द्वारा "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचित की गयी है।

2- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचना निर्गत् होने से 05 वर्षो तक अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति / संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।

3- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" के प्रस्तर 5.2 में व्यवस्था है कि नोडल एजेन्सी के कार्यकलापों की देख-रेख के लिए प्रमुख सचिव आईटी एवं इले0 उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) स्थापित की जायेगी। पी0आई0यू0 निवेश प्रस्तावों पर अनुमोदन, प्रोत्साहनों के संवितरण, सशक्त समिति के लिए संस्तुतियों इत्यादि सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगी। पी0आई0यू0 के अन्य दायित्यों में शासकीय अधिकारियों के साथ समन्वय उद्योग संघों, हितधारकों, कारपोरेट्स के साथ सम्बद्धता, नीति का प्रचार आदि सम्मिलित है। अत: उक्त व्यवस्था के अधीन सम्यक विचारोपरान्त एतदद्वारा निम्नवत नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, ऊर्जा विभाग उ0प्र0, शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ,उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, आवस एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम एवं सेवायोजना विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
12	विशेष सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
14	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

4- नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा राज्य में डाटा सेन्टर नीति के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों जैसेकि डाटा सेन्टर पार्क्स, डाटा सेन्टर इकाइयों को प्रोत्साहन इत्यादि पर निर्णय लिया जायेगा। पी0आई0यू0 नोडल एजेन्सी के माध्यम से डाटा सेन्टर हितधारकों के लिए प्रोत्साहनों हेतु अनुमोदन एवं संस्तुतियॉं देने हेतु भी उत्तरदायी होगी। यह उनकी शिकायतों का सामयिक निवारण प्रदान करेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगी। जब और जैसी आवश्यकता हो, अग्रेतर विचार- विमर्श तथा निर्णय लिए जाने हेतु पी0आई0यू0 द्वारा प्रकरण को सशक्त समिति को सन्दर्भित किया जाएगा।

5- ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021'' के क्रियान्यवन हेतु नामित कार्यदायी / नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समिति के सदस्यगण।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अधिशासी निदेशक, इनवेन्ट यूपी, 12-सी मॉल एवेन्यू लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी,10 अशोक मार्ग लखनऊ।
7. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in